न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1.	पीठासीन अधिकारी	: श्री अशोक कुमार शर्मा
2.	प्रकरण संख्या	: 25 / 2020
3.	उनवान	: सरकार जरिये डॉ. प्रवीण कुमार जिला रसद अधिकारी बनाम श्री सतीश कुमार माथुर उचित मूल्य दुकान संख्या 507, अशोक चौक, आदर्श नगर जयपुर।
4.	निर्णय दिनांक	: 22.12.2022
5.	अधिवक्तागणों का नाम	: अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, डॉ. प्रवीण कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 19.10.2016 को अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान में आकस्मिक निरीक्षण किया। दौराने जांच रिकार्ड के अनसुार स्टॉक में लेवी चीनी 271 कि.ग्रा. होनी चाहिये थी, परन्तु भौतिक सत्यापन पर 300 कि.ग्रा. चीनी स्टॉक में पायी गयी। इस प्रकार 29 किग्रा. लेवी चीनी स्टॉक से अधिक पायी गयी। अप्रार्थी द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक चीनी के पाये जाने के सन्दर्भ में कोई सन्तोषप्रद जवाब एवं वैध दस्तावेज पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में फर्द निरीक्षण, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 09.09.2019 को जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब में गेंहूं की जब्ती व निस्तारण के संबंध में तर्क दिये गये जबकि प्रकरण लेवी चीनी की जब्ती से संबंधित है। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार अप्रार्थी को आवाज लगवाई गयी। इस पर भी अप्रार्थी / अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.12.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 19.10.2016 को अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक से अधिक मात्रा में भण्डारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लेवी चीनी जब्त की गयी। अप्रार्थी द्वारा जब्त वस्तुओं की वैधता के संबंध में मौके पर कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब भी प्रकरण में जब्तशुदा चीनी से संबंधित नहीं है। इस प्रकार डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या–5 के क्रम में सही रिकार्ड संधारण नहीं किया जाकर इस अधिक पाये गये स्टॉक का निजी लाभार्थ दुरुपयोग किये जाना स्पष्ट करता है, जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा जब्त 29 किग्रा. लेवी चीनी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III, JAIPUR

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।